प्रेस नोट

विभाग का नाम–औद्योगिक विकास विभाग(अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।

विषय– राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल) के स्थायी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रदेश के राजकीय कार्मिकों तथा विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के अनुरूप दिनांक 01.02.2019 से पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि0 (सिडकुल) के स्थायी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गयी है।

(विनय शंकर पाण्डेय)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम– वित्त अनुभाग–9

विषयः– कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ कृषकों द्वारा लिए गए रू0 5.00 लाख तक के ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न लिए जाने विषयक।

शासन की अधिसूचना सं0 91 दिनांकः 12.04.2017 के माध्यम से दिनांकः 31.03.2022 तक (पांच वर्ष की अवधि तक) के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा **संख्या–669/2023 ₹5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी'** की गई है।

2. वर्तमान में राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा **कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ कृषकों द्वारा लिए गए रू0 5.00 लाख तक के ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर भविष्य में स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न लिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।**

.....

(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

वित्त विभाग
(वित्त अनुभाग–10)

ई पत्रावली संख्या– /xxvii(10)/2024–E–73849/2024. दिनांक– जुलाई, 2024

प्रेस नोट/विज्ञप्ति

विषय– राज्य सरकार द्वारा दिनांक–01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्र सरकार की भॉति दिनांक–01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी और मृत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रूपये 25.00 लाख किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–28/03/2024–P&PW(B)Gratuity/9559, दिनांक–30 मई, 2024 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक–01 जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते की दरें 50 प्रतिशत किये जाने के आधार पर केन्द्र सरकार की भॉति दिनांक–01 जनवरी, 2024 से सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों हेतु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) से बढ़ाकर रूपये 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) किया जाना प्रस्तावित है।

(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नामः– वित्त अनुभाग–9

विषयः– उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 के अन्तर्गत **Digital Document Execution(DDE),E-Udbhavam, E-BG** को कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड राज्य में डिजिटल ई–स्टाम्पिंग/पेपरलैस ई–स्टाम्पिंग शुरू किये जाने निमित्त भारतीय स्टाम्प अधिनियम–1899 की अनुसूची–1 खा में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य मे लागू गैर पंजीकरण योग्य 17 अनुच्छेदों को उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई–स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय)(संशोधन) नियमावली, 2023 में सम्मिलित किया जाना है, जिससे बैंक एवं आम जनता को निम्न सुविधायें प्राप्त होगीः–

- आम जन को बैंक ऋण, बैंक गारण्टी, बन्धक इत्यादि के लिये स्टाम्प विकेता से स्टाम्प कय नहीं करना पड़ेगा, बैंक सम्बन्धी कार्यवाही बैंक के पटल पर ही सम्पादित हो जायेगी।
- स्टाम्प कय की सुविधा बैंक को अपने ही परिसर में उपलब्ध होगी।
- उक्त प्रणाली के प्रवृत्त होने से बैंक में प्रयुक्त होने वाले अभिलेख यथाविधि स्टाम्पिंग होंगे एवं बैंक ऋण इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले स्टाम्प का विवरण विभाग के पास उपलब्ध होने के कारण भूमि के कय–विकय में धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा,, जिससे विभाग की आय में भी वृद्धि होगी एवं स्टाम्प का लेखा उचित तरीके से संकलित होगा।
- उक्त प्रकिया के सरलीकरण के फलस्वरूप जनहित में EODB प्रणाली को बल मिलेगा।

(दिलीप जावलकर)
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नामः— वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषयः—वाह्य सहायतित परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0—86/XXVII(7) 36/2010-11/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा राज्य में वाह्य सहायतित परियोजनाओं की स्वीकृति, संचालन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए पूरे राज्य में एक समान व्यवस्था बनाये जाने के दृष्टिगत मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं वित्तीय/प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में व्यवस्था का निर्धारण किया गया है।

वाह्य सहायतित परियोजनाओं के प्रभावी कियान्वयन/अनुश्रवण हेतु किसी कार्य/परियोजना की निविदा प्रकिया के दौरान निविदा में प्राप्त मूल्य के कारण अथवा कार्य के निष्पादन के मध्य किसी मद की मात्रा में परिवर्तन के कारण परियोजना/कार्य की आगणित (estimated)/स्वीकृत (sanctioned) लागत में 10% से अधिक अथवा रू0 5.00 करोड़ से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित हो तो ऐसी किसी भी दशा में वृद्धि के प्रस्ताव का परीक्षण भी सचिव नियोजन की अध्यक्षता में गठित Technical Screening Committee EAP द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(दिलीप जावलकर)
सचिव, निर्वाचन
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम– सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषय– चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों/सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित एवं निरन्तर सेवाओं को जोड़ते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एम0ए0सी0पी0एस0)/ ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने विषयक।

1. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना(एमएसीपी0) से सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 के लागू होने के फलस्वरूप सचिवालय संविलियन नियमावली (छठा संशोधन) 2007 के द्वारा प्रतिस्थापित बिन्दुओं पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उक्त शासनादेश तथा नियम के विरोधाभास के दृष्टिगत विभिन्न विभागो/निगमों आदि से संविलियनित किये गये सचिवालय सहायकों को एम0ए0सी0पी0 का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
2. उपरोक्त के दृष्टिगत वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–11, दिनांक 17 फरवरी, 2017 से छूट प्रदान करते हुये सचिवालय में संविलियित किये गये चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों/सचिवालय सहायकों को उनके मूल विभाग की नियमित एवं निरन्तर सेवाओं को जोड़ते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एम0ए0सी0पी0एस0)/ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 10-07-2024 14:18:56

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

वन विभाग

विषय– उत्तराखण्ड काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियम) नियमावली, 2024 का प्रख्यापन।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सॉ–मिल (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली–1978 लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रकाष्ठ आधारित उद्योगों (जिनमें आरामशीन, प्लाईवुड, वीनियर, एम0डी0एफ0, पार्टिकल बोर्ड आदि सम्मिलित है) के नये लाईसेन्स, नवीनीकरण, नाम परिवर्तन, लाईसेन्स की एकमुश्त धनराशि व नवीनीकरण के सापेक्ष देय धनराशि आदि का निर्धारण किया जा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रभावी नियमावली के कतिपय नियमों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त के क्रम में उक्त उत्तर प्रदेश सॉ–मिल (स्थापना एवं विनियमन) नियमावली–1978 को अधिक्रमित करते हुए "**उत्तराखण्ड काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियम) नियमावली, 2024**" प्रख्यापित की जानी प्रस्तावित है।

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 25-06-2024 13:01:56

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2020–21 के वार्षिक लेखों की सम्परीक्षा राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में :–

1. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–169/XXXVI(3)/2012/25(1)/2012, दिनांक 08 जून, 2012 में उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रथम संशोधन अधिनियम–2012 की उपधारा 02 एवं 04 में प्राविधान है कि "वन विकास निगम के लेखे प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किये जायेंगे तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।"
2. "उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत)" के अध्याय–5 प्रस्तर 26(1) में प्राविधान है कि निगम प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व तथा ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य–कलापों का लेखा दिया जाएगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और ऐंसी रिपोर्ट में ऐंसे कार्य–कलापों का भी यदि कोई हो, लेखा दिया जाएगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात उसे यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।"
3. उपरोक्त प्रावधिानों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2020–21 के आर्थिक चिट्ठों (वार्षिक लेखों) की सम्परीक्षा कर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) को आगामी विधान सभा सत्र में सदन के पटल पर चर्चा हेतु रखने से पूर्व मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 15-07-2024 10:17:43

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम– उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार विभाग

विषयः– 'उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024' के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

प्रस्तावः– गृह विभाग के शासनादेश संख्या–147410 दिनांक 21.08.2023 द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग के ढांचे में पूर्व से सृजित अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) ग्रेड वेतन–रू0 6600/– के कुल 06 पदों को विभाजित करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी–एक ग्रेड वेतन–रू0 7600/– के 02 नवीन पद तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) श्रेणी–दो, ग्रेड वेतन–रू0 6600/– के 04 नवीन पद सृजित किये गये हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के वेतनमान को ग्रेड वेतन से रू0 7600/– से उच्चीकृत करते हुए ग्रेड वेतन रू0 8700/– किया गया है।

अतः पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग के उपरोक्त पुनर्गठित ढांचे के अनुसार संवर्ग की सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु 'उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024' के प्रख्यापन सम्बन्धी प्रस्ताव पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 15-07-2024 13:26:32

(शैलेश बगौली)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम : गृह अनुभाग–05

अवगत कराना है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम, 1956 (The Uttar Pradesh Anatomy Act, 1956) में विहित प्राविधान के आलोक में गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–146/XX–3–2016–09(01)2016, दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून को प्रशिक्षण हेतु लावारिस (Unclaimed) शवों को जनपद देहरादून एवं हरिद्वार से उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया।

उक्त व्यवस्था को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने हेतु गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–146/XX–3–2016–09(01)2016, दिनांक 21.07.2016 में विस्तार करते हुए निम्नवत् संशोधन के साथ अधिसूचना निर्गत किया जाना प्रस्तावित है :–

(1) जनपद में उपलब्ध लावारिस मानव शव (Unclaimed Human Dead Body) को प्राधिकृत पदाधिकारी (जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक) के माध्यम से उसी जनपद में स्थित राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(2) जनपद में स्थित चिकित्सा संस्था द्वारा किसी अन्य जनपद से लावारिस मानव शव को प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है, तो लावारिस शव को उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रथमतः पुलिस मुख्यालय (पुलिस महानिदेशक) से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सम्बन्धित संस्था को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

उम्त प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल का अनुमोदन निवेदित है।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

I/224602/2024

प्रेस नोट

विभाग का नाम– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संचालित विभिन्न परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में वर्तमान प्रख्यापित बॉण्ड की शर्तों में संशोधन किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव–

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार हेतु निर्गत ढांचे से संबंधित शासनादेश में नर्सिंग स्टाफ के पोषक पद अर्थात स्टाफ नर्स के पदों को भर्ती के स्रोत में "**आउटसोर्स**" अंकित किया गया है। इसी प्रकार राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ हेतु वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत ढांचे में भी उक्त पद के भर्ती के स्रोत में "**आउटसोर्स**" अंकित किया गया है।

वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ तथा हरिद्वार हेतु स्वीकृत ढाचों में स्टाफ नर्स के पद को "**आउटसोर्स**" के स्थान पर "**सीधी भर्ती**" के माध्यम से भरे जाने के संबंध में प्रकरण को समक्ष रखते हुए मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है ।

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 12-07-2024 11:26:08

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला/उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन।

(1) उत्तराखण्ड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में लिये जाने वाले ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, पंजीकृत शुल्क, बैड चार्जेज एम्बुलेन्स हेतु निर्धारित शुल्क का विवरणः–

चिकित्सा संस्थान स्तर	OPD	IPD दरें
	प्रस्तावित दरें	प्रस्तावित दरें
प्रा0 स्वा0 केन्द्र	रू0 10/–	रू0 15/–
सामु0 स्वा0 केन्द्र	रू0 10/–	रू0 25/–
जिला/उप जिला चिकित्सालय	रू0 20/–	रू0 50/–

वार्डो हेतु शुल्क –प्रथम 03 दिन निःशुल्क

वार्डो का विवरण	Urban Hosp.(जिला/उपजिला चिकि0)
General ward	Rs.25/-per day after 3 days
Private ward, Two Beds,Single Bed	Rs. 150/- per day, Rs. 300/- per day
AC Rooms	Rs. 1000/- per day

विभागीय एम्बुलेन्स हेतु किराया दरें

विभागीय एम्बुलेन्स हेतु किराया दर 05 किमी0 तक न्यूनतम् रू0 200/– तथा अतिरिक्त दूरी के लिए रू0 20/– प्रति किमी0 किया गया है।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु रेफर होने पर सामु0 स्वा0 केन्द्र द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क न लिया जाये तथा साथ ही उप जिला चिकित्सालय से जिला चिकित्सालय हेतु रेफर होने पर जिला चिकित्सालय द्वारा मरीजों से पंजीकरण शुल्क न लिया जाये।

(3) समस्त राजकीय चिकित्सालयों में भी निदान एवं जॉच हेतु सी.जी.एच.एस. दरें लागू की जाती है जब भी सी.जी.एच.एस. दरें परिवर्तित होगी तद्नुसार राज्य में भी यूजर्स चार्जेज की दरें स्वतः ही परिवर्तित हो जायेगी।

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 12-07-2024 16:04:20

Scanned with OKEN Scanner

विभाग का नाम– विद्यालयी शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

विषय– राज्य में विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन एवं विधिवत् उपयोग हेतु Project Implementation Unit (PIU) की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव– विद्यार्थियों के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर, छात्र–छात्राओं तथा अध्यापकों की ऑनलाइन उपस्थिति, समग्र शिक्षा के दायरे में विभिन्न परियोजनाओं/गतिविधियों की वास्तविक समय स्थिति की निगरानी करना, सीखने के परिणाम, ड्रापआउट, नामांकित छात्रों की निगरानी, विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में संचालित सभी प्रकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री पोषण योजना, नियोजन एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त आंकडों को ऑनलाइन किये जाने एवं उनका विश्लेषण आदि किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राज्य में स्थापित विद्या समीक्षा केन्द्र के संचालन एवं विधिवत् उपयोग हेतु Project Implementation Unit (PIU) की स्थापना की जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

I/221611/2024

प्रेस नोट

विभाग का नाम– माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–05 उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– एन.सी.सी. की 02 यू.के. (स्वतंत्र) कम्पनी को जनपद चम्पावत में पुर्नस्थापित किये जाने के संबंध में।

एन.सी.सी. की 2 यू0के0 (स्वतंत्र) कम्पनी पूर्व में हरिद्वार के BHELमें एन0सी0सी0 मुख्यालय देहरादून के अंतर्गत संचालित थी जिसमें राज्य सरकार का कोई भी कार्मिक कार्यरत/उपलब्ध न होने के दृष्टिगत वर्ष 1998 से 2002 के मध्य इस इकाई को निलंबित कर दिया गया था। एन0सी0सी0 विस्तार योजना के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में 03 लाख अतिरिक्त एन.सी.सी. कैडेटों की रिक्तियों को भरे जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी है इसी के अन्तर्गत जनपद चंपावत का चुनाव उक्त कंपनी को पुनः खोले जाने हेतु किया गया है। चूंकि वर्तमान में जनपद चंपावत में कोई भी एन.सी.सी. बटालियन/इकाई स्थापित नहीं है जिससे विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्र–छात्राओं को एन.सी.सी. में प्रवेश नहीं मिल पाता है। 2 यू0के0 (स्वतंत्र) कम्पनी की चंपावत में स्थापना के फलस्वरूप जनपद चंपावत के राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्यनरत छात्र–छात्राओं तक एन.सी.सी. की पहुंच सुलभ हो सकेगी।

अतः उक्त के दृष्टिगत ही 2 यू0के0 (स्वतंत्र) कम्पनी को जनपद चंपावत में किसी उपयुक्त स्थान पर पुनः स्थापित किया जाने एवं उक्त कंपनी हेतु 10 सिविल स्टॉफ पदों का सृजन किया जाने की मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा मंजूरी प्रदान की गयी है।

Signed by Raman Ravinath
Date: 01-07-2024 13:56:51

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग का नाम : ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

विषय :–उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के संरचनात्मक ढांचे को पुनर्गठित किये जाने विषयक।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत की जलवायु परिवर्तन के पांच अमृत तत्वों की घोषणा की अपेक्षानुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा से सम्बन्धित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा भी ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत उरेडा अभिकरण के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजना/कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत शासकीय भवनों पर सोलर वॉटर हीटर एवं सोलर पैनलों की स्थापना, सोलर स्ट्रीट लाईट, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सोलर रूफटॉप में केन्द्र के समान अनुदान, सौलर वॉटर हीटर संयत्रों की स्थापना हेतु घरेलू एवं व्यावसायिक संयत्रों पर अनुदान प्रदान किया जाना प्रमुख है। उक्त के अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता नोडल एजेन्सी की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है।

उक्त लक्ष्यों की पूर्ति, शासकीय कार्यो के सुचारू संचालन एवं संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु उरेडा अभिकरण हेतु मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पूर्व सृजित 119 पदों को पुर्नगठित करते हुए नये 29 पदों पर सहमति व्यक्त करते हुए कुल 148 पदों का पुर्नगठन किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

Signed by R. Meenakshi Sundaram
Date: 06-07-2024 11:49:35

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभाग– कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–5

विषयः सतर्कता अधिष्ठान में "उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवॉल्विंग फण्ड भाग–1 सामान्य नियमावली, 2023" विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 03.08.2022 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा संख्या–353/2022 के अनुपालन मे सतर्कता अधिष्ठान की ट्रैप कार्यवाहियों में परिवादियों के पूर्ण सहयोग दिये जाने के उद्देश्य से परिवादियों द्वारा ट्रैप के समय दी जाने वाली रिश्वत राशि के पुनर्भरण हेतु सृजित रिवॉल्विंग फण्ड के रखरखाव/सुचारू रूप से संचालन हेतु "उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग रिवॉल्विंग फण्ड नियमावली" विकसित की जानी है।

Signed by Shailesh Bagauli
Date: 18-12-2023 17:51:07

(शैलेश बगोली)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के कतिपय प्राविधान को लागू करने में समय–समय पर उत्पन्न हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत नियमावली के नियम 4 के खण्ड (झ) में 'वर्ष' तथा नियम 8 के उप नियम (2) एवं (3) में 'एक चयन' को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है। तत्क्रम में वर्ष को 'वर्ष/चयन वर्ष' के रूप में तथा 'एक चयन' को 'एक चयन वर्ष' के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। तद्नुसार 'उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (संशोधन) नियमावली, 2024' का प्रख्यापन किया गया है।

(लालत मोहन रयाल)
अपर सचिव
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग
उत्तराखण्ड शासन

Scanned with OKEN Scanner

/2024

19

उत्तराखण्ड शासन,
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या-   / 01 (01)/2019 (ई संख्या-14311)
देहरादून: दिनांक: जुलाई, 2024

प्रेस-नोट

जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी एयरपोर्ट को, भारतीय वायु सेना को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय वायुसेना को हस्तगत किये जाने की जो अनुमति प्रदान की गयी है, उस पर मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा पुनर्विचार किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।

Signed by Sachin
Sharadchandra Kurve
Date: 18-07-2024 10:33:02
(सचिन कुर्वे)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन,
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या–224978 / 57 (IX)/2008 (ई संख्या–35277)
देहरादून: दिनांक: 17 जून, 2024

प्रेस–नोट

जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत स्थित पन्तनगर हवाई पटटी के विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहित 212.4868 है0 (524.78 एकड़) भूमि, जो कि नागरिक उडडयन विभाग के नाम दर्ज है, को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के नाम निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रिमण्डल के द्वारा निर्णय लिया है।

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 13-07-2024 13:12:24

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेस नोट

विभागः— औद्योगिक विकास (खनन) विभाग।

विषयः— **उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावः— भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के फलस्वरूप समूह क एवं ख के पदधारकों के सेवा नियम गठित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड भूतत्व एवं खनिकर्म समूह 'क' एवं 'ख' सेवा नियमावली, 2024 प्रख्यापित की जा रही है।

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

- हाल के समय में संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चार धाम यथा श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का अथवा इनके संचालन हेतु गठित ट्रस्ट/समिति के नाम से मिलते–जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट/समिति आदि बनाई जा रही है। इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुँचती है, तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- इसके अतिरिक्त दून विश्वविद्यालय में आगामी अकादमिक सत्र से *Centre for Hindu Studies* प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रदेश में 05 लाख रू0 तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी ठेकेदारों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में नियोजन विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

- विधान सभा सत्र आहूत किए जाने के सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया

- हाउस ऑफ हिमालया कम्पनी के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों एवं कम्पनी संचालन हेतु पदों के स्वीकृति, भर्ती इत्यादि पर मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन।

Scanned with OKEN Scanner